2020 का विधेयक सं. 28

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1973 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 11) की धारा 17 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(5-क) उप-धारा (1) से (4) तक की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने उस पर लागू होने योग्य अधिकतम-सीमा क्षेत्रफल से अधिक कोई भूमि अर्जित कर ली है या अर्जित करता है और उक्त भूमि को, सौर या पवन शक्ति का उत्पादन करने के लिए, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 में यथापरिभाषित सौर फार्म/पार्क, सौर संयंत्र/सौर शक्ति संयंत्र या संबंधित क्रियाकलापों अथवा राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, 2019 में यथापरिभाषित पवन फार्म, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं

या संबंधित क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लेने का प्रस्ताव किया है या प्रस्ताव करता है:

परन्तु ऐसे व्यक्ति को-

(i) ऐसी भूमि को, सौर फार्म/पार्क, सौर संयंत्र/सौर शक्ति संयंत्र या पवन फार्म, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए या संबंधित क्रियाकलापों के लिए, उपयोग में लेने के प्रयोजन के लिए, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. .....) के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर या भूमि के अर्जन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार ऐसे आवेदन को एक वर्ष के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगी यदि आवेदक राज्य सरकार का यह समाधान करा देता है कि एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के पर्याप्त कारण थे;

(ii) सौर फार्म/पार्क, सौर संयंत्र/सौर शक्ति संयंत्र या पवन फार्म, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के विकास के लिए या संबंधित क्रियाकलापों के लिए, उक्त भूमि को उपयोग में लेने की अनुज्ञा की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, ऐसे प्रयोजन के लिए उक्त

भूमि का उपयोग प्रारंभ करना होगा। राज्य सरकार, पर्याप्त कारण दर्शित किये जाने पर, ऐसी कालावधि को दो वर्ष की और कालावधि तक बढ़ा सकेगी।"; और

(ii) उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (5) या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति उप-धारा (5) या, यथास्थिति, उप-धारा (6) के उपबंधों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (5), (5-क) या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति उप-धारा (5), (5-क) या, यथास्थिति, उप-धारा (6) के उपबंधों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 राजस्थान राज्य में कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा का अधिरोपण करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था। गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए अधिकतम-सीमा से छूट का उपबंध करने हेतु, वर्ष 2012 में उक्त अधिनियम की धारा 17 संशोधित की गयी थी।

राजस्थान राज्य में सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन की वृहद् संभावनाएं हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करना चाहती है। यद्यपि, सरकार सौर और पवन शक्ति संयंत्र को स्थापित करने के लिए सरकारी खाली भूमि आबंटित करती रही है तथापि, यह महसूस किया गया है कि सौर और पवन परियोजनाओं में लगे हुए विकासकर्ताओं को निजी भूमि की भी आवश्यकता हो सकती है। भारत सरकार ने भी सौर और पवन शक्ति परियोजना को भूमि की अधिकतम-सीमा से छूट देने की आवश्यकता पर बल दिया है।

निजी भूमि के अर्जन को, अनिवार्य अर्जन किये बिना, बिक्री द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए, लोकहित में यह समीचीन होगा कि सौर फार्म/पार्क, सौर संयंत्र/सौर शक्ति संयंत्र या पवन फार्म, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं या संबंधित क्रियाकलापों के लिए अर्जित की गयी भूमि को अधिकतम-सीमा से छूट दी जाये। इसलिए, अधिनियम की धारा 17 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

हरीश चौधरी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973
(1973 का अधिनियम सं. 11) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

17. भावी अर्जनों पर निर्बन्धन.- (1) से (6) XX XX

(7) यदि उप-धारा (5) या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति उप-धारा (5) या, यथास्थिति, उप-धारा (6) के उपबंधों या उप-धारा (5) के अधीन मंजूर किये गये अनुमोदन में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, का उल्लंघन करता है तो ऐसा अनुमोदन वापस लिया गया समझा जायेगा और भूमि के गैर-कृषिक उपयोग के लिए भूमि के संपरिवर्तन का आदेश, यदि कोई हो, रद्द किया गया समझा जायेगा और उस व्यक्ति पर उप-धारा (1), (3) और (4) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों कि उसने ऐसे उल्लंघन की तारीख को भूमि अर्जित की थी।

स्पष्टीकरण:- यह प्रश्न कि इस उप-धारा में यथा निर्दिष्ट उल्लंघन कारित किया गया है या नहीं, राज्य सरकार द्वारा सुना और विनिश्चित किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

XX XX XX XX XX

Bill No. 28 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN IMPOSITION OF CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 11 of 1973.- In section 17 of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973),-

(i) after the existing sub-section (5) and before the existing sub-section (6), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(5-A) Nothing in sub-sections (1) to (4) shall apply to a person who has acquired or acquires any land in excess of the ceiling area applicable to him and has proposed or proposes to use the said land for the purpose of Solar Farm/Park, Solar Plant/Solar Power Plant or related activities as defined in Rajasthan Solar Energy Policy, 2019 or Wind Farm, Wind-Solar Hybrid Projects or related activities as defined in Rajasthan Wind and Hybrid Energy Policy, 2019 for the generation of solar or wind power:

Provided that such person shall have to-

(i) submit an application to the State Government within one year from the date of coming into force of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 2020 (Act No…… of 2020) or within a period of one year from the date of acquisition of land, for the purpose of using such land for setting up Solar Farm/Park, Solar Plant/Solar Power Plant, or Wind Farm, Wind-Solar Hybrid Projects or related activities. The State Government may entertain such application after expiry of one year if the applicant satisfies the State Government that there were sufficient reasons for not moving the application within the period of one year;

(ii) commence the use of said land for development of Solar Farm/Park, Solar Plant/Solar Power Plant, or Wind Farm, Wind-Solar Hybrid Projects or related activities within a period of three years from the date of permission to use the said land for such purpose. The State Government on sufficient cause being shown may extend the period by further period of two years."; and

(ii) in sub-section (7), the existing expression "in sub-section (5) or sub-section (6) contravenes the provisions of sub-section (5) or sub-section (6)", the expression "in sub-section (5), (5-A) or sub-section (6) contravenes the provisions of sub-section (5), (5-A) or sub-section (6)" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 was enacted to provide for the imposition of ceiling on agriculture holdings in the State of Rajasthan. In the year 2012, section 17 of the said Act was amended to provide for exemption from ceiling for the land which is to be acquired for non-agricultural purposes.

There are large prospects of generation of solar and wind energy in the State of Rajasthan. The Government desires to achieve maximum generation of renewable energy every year. Though, the Government has been allotting the vacant Government land for setting up of solar and wind power plants, it has felt that the developers engaged in the solar and wind projects may need private land also. The Government of India has also pressed the need for exempting the solar and wind power project from land ceiling.

To encourage the acquisition of private land by negotiation without resorting to the compulsory acquisition, it will be expedient in the public interest that the land acquired for Solar Farm/Park, Solar plant/Solar Power Plant, or Wind Farm, Wind-Solar Hybrid Projects or related activities, be exempt from ceiling. Therefore, section 17 of the Act is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हरीश चौधरी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN IMPOSITION OF CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS ACT, 1973
(Act No. 11 of 1973)

XX XX XX XX XX XX XX

17. Restriction on future acquisition.- (1) to (6) xx xx

(7) If the person referred to in sub-section (5) or sub-section (6) contravenes the provisions of sub-section (5) or sub-section (6), as the case may be, or the conditions, if any, specified in the approval granted under sub-section (5), the approval shall be deemed to have been withdrawn, and the order of conversion of land for non-agricultural use, if any, shall be deemed to have been cancelled and the provisions of sub-sections (1), (3) and (4) shall apply to him *mutatis mutandis* as if he had acquired the land on the date of such contravention.

Explanation.- The question as to whether the contravention as referred to in this sub-section has been committed or not shall be heard and decided by the State Government whose decision thereon shall be final.

XX XX XX XX XX XX XX

2020 का विधेयक सं. 28

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(हरीश चौधरी, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 28 of 2020

THE RAJASTHAN IMPOSITION OF CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

(Harish Choudhary, **Minister-Incharge**)